न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाडमेर

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती कुसुमलता चौहान (आर.ए.एस.)

राजस्व आवेदन संख्या:– 04/2019

प्रार्थी:–

अर्जुनसिंह पुत्र श्री शिवसिंह जाति राजपूत निवासी –जीनपुर पटवार हल्का सैला तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. उमसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवासी जीनपुर
2. कानसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवासी जीनपुर
3. गणपतसिंह पुत्र नगसिंह जाति राजपूत निवासी जीनपुर
4. भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी जीनपुर
5. अदरों पत्नी बुद्धाराम जाति रबारी निवासी जीनपुर
6. घुंसाराम पुत्र बुद्धाराम जरिये कुदरती वली माता अदरो पत्नी बुद्धाराम जाति रबारी निवासी जीनपुर
7. मेहराराम पुत्र बुद्धाराम जरिये कुदरती वली माता अदरो पत्नी बुद्धाराम जाति रबारी निवासी जीनपुर
8. वशनाराम पुत्र बुद्धाराम जरिये कुदरती वली माता अदरो पत्नी बुद्धाराग जाति रबारी निवासी जीनपुर
9. नरींगा पुत्र लादीया जाति रबारी निवासी जीनपुर
10. सुजाराम पुत्र लुम्बाराम जाति रबारी निवासी जीनपुर पटवार हल्का सैला भू. अभि.नि. क्षेत्र पादरू तहसील सिवाना जिला बाडमेर
11. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान (एसबीआई) मोकलसर
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकार अधिनियम

उपस्थित :–1. **श्री लाघाराम परमार प्रार्थी**

2.श्री ओमसिंह राजपुरोहित विप्रार्थी संख्या 1 ता 4

–: आदेश :–

दिनांक :– 03.09.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 1.999[illegible] हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा जीनपुर पटवार मण्डल सैला तहसील सिवाना में अवस्थित [illegible] विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का खसरा संख्या 131 रकबा 9.8662 हैक्टेयर व खसरा संख्या 63 रकबा 0.[illegible] हैक्टयर एवं विप्रार्थीगण संख्या 5 ता 10 का खेत खसरा संख्या 1.5378 हैक्टयर आया हुआ है विप्रार्थी संख्या 5 ता 10 के खेत खसरा संख्या 64 की दक्षिणी दिशा की जुडती हुई मुख्य सडक है जो डामरीकरण सडक है । उक्त रास्ता एक मात्र विकल्प है जो प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आवगमन हेतु नजदीकी एंव सुलभ रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा परिशिष्ट''अ''में बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु इसी रास्ते से होकर सडक मार्ग तक आवगमन करता है इसके अतिरिक्त उसके पास इस हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी ने विप्रार्थीगण के खेत मे से प्रचलित उक्त रास्ते की भूमि को गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते मे दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदर सिवाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व/2021/78 दिनांक 16.02.21 के जरिये मौका रिपोर्ट पेश की गई।

विप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तामील सुदा प्राप्त। विप्रार्थी संख्या 5 ता 12 के विरूद्व वाबजूद सूचना अनुपस्थित से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से वकील श्री ओमसिंह राजपुरोहित उपस्थित हुये व विप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश कर मौके पर निवेदन किया गया की विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 63 खसरा संख्या 131 व खसरा संख्या 83 तीन–तीन खसरो से रास्ता घोषित करने एवं विप्रार्थीगण को भारी क्षति होगी प्रार्थीगण वर्तमान समय में खसरा संख्या 72 के बदिशा पूर्वी माठ से हेतु खसरा संख्या 83 में बनी सरकारी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जीनपुर के पास से होते हुए अपने खेत खसरा संख्या 130 में आते –जाते है विप्रार्थीगण ने पूर्व में भी अपने खेत खसरा संख्या 83 से सरकारी विद्यालय हेतु भूमि समर्पित कर रखी है प्रार्थीगण वर्तमान मं समय में खसरा संख्या 72 से होते हुए विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 83 से होते हुए अपने खेत में आ जा रहे है विप्रार्थीगण ने अपने जवाव के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार रास्ता घोषित करते हुये तहसीलदार सिवाना से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनो पक्षों के वकील की बहस सुनी गई । विप्रार्थीगण अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना से पुनः मौका रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक राजस्व/2021/514 दिनांक 16.08. 2021 द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदे[illegible] पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी के विद्[illegible] अधि[illegible] ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी [illegible] खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 1.9992 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा [illegible]पुर पटवार मण्डल सैला में कृषि कार्य हेतु आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसर संख्या 131 रकवा 9.8662 हैक्टयर,,खसरा संख्या 63 रकवा 0.9874 हैक्टयर, व खसरा संख्या 64 रकवा 1.5378 हैक्टयर एक मात्र नजदीकी एंव सुलभ रास्ता है विप्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थी वकील की बहस में दी गई दलीलो का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थी द्वारा आवगमन हेतु मांगे रास्ते में विप्रार्थीगण के तीन–तीन खसरे प्रभावित होगे जिससे विप्रार्थीगण के अपूरर्णीय क्षति होगी प्रार्थी वर्तमान समय में खसरा संख्या 72 के बदिशा पूर्वी माठ से होते हुए खसरा सख्या 83 में बनी सरकारी स्कुल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जीनपुर के पास से होते हुए अपने खेत खसरा संख्य 130 में आते–जाते है. विप्रार्थीगण ने पूर्व में भी अपने खेत खसरा संख्या 83 से सरकारी विद्यालय हेतु भूमि समार्पित कर रखी है ।

हमने दोनो पक्षो क विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित दोनो रिपोर्ट पर गंभीरता से मनन किया । तहसीलदार सिवाना द्वारा बताया गया है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा पूर्वी मं प्रेषित पत्रांक राजस्व / 2021/78 दिनांक 16.02.2021 में प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 130 में आगवमन हेतु ग्राम जीनपुर के खेत खसरा संख्या 131,63 व 64 में रास्ता प्रदान करने हेतु पूर्व में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो आज दिनांक को भी रास्ता चालू है विप्रार्थीगण के बताये गया रास्ता खसरा संख्या 404/70 व 72 में उक्त रास्ता चालू है खसरा संख्या 72 व 83 में उक्त रास्ता बन्द है जो कि राजस्व रेकर्ड में कटान दर्ज नहीं है प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता खसरा संख्या 131,63 व 64 की लम्बाई 21 जरीब (210 गट्ठा) है जबकि विप्रार्थीगण द्वारा बताये गये रास्ते की लम्बाई खसरा संख्या 405/70,404/70,72,73 व 83 की लम्बाई 30 जरीब (300 गट्ठा) है खसरा संख्या 72 व 83 में उक्त रास्ता बन्द है। तहसीलदार सिवाना द्वारा पुनः प्रेषित रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति में विकल्प के रूप में बताये गये रास्ते की लम्बाई अधिक है तथा आपत्ति में दर्ज खसरा संख्या 72 व 83 में उक्त रास्ता बन्द है जो कि राजस्व रेकर्ड में कटान दर्ज नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ता तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित पत्रांक राजस्व/2021/78 दिनांक 16.02.2021 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 10.11.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी विप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 64,63 व 131 में से होकर रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 ए रा. अ. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 130 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खातेदारी खेत सरहद मौजा जीनपुर पटवार मण्डल सैला के खसरा नम्बर 64,63 व 131 मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका फर्द दिनांक 10.11.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी प्रस्तावित रास्ता 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

प्रार्थी को उपरोक्तानुसार 2 गट्ठा चौडाई में 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा। आदेशानुसार प्रस्तावित 'रास्ते' मे समाविष्ट होने वाली कुल भूमि 2 गट्ठा में रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचालित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर तहसीलदार सिवाना द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण को 'रास्ते' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित आदेश दिनांक को प्रचालित दर की दो गुणा राशि के बराबर होगी।

प्रार्थी को नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार सिवाना द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमाकंन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा, अगर प्रभावित पक्षकर उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार सिवाना को प्रस्तुत की जाएगी, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा विप्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी। नये 2 गट्ठा चौडाई के रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी।

पक्षकारन को इस प्रकार दर्ज 2 गट्ठा चौडे रास्ते के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को नया 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका फर्द दिनांक 10.11.2020 के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये बरंग लाल ए से बी.तक दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.11.14 17:46:07 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 03.09.2021 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)